उत्तराखंड शासन

दिनांक 30–09–2013 एवं 01–10–2013 को
खाद्य मंत्रियों तथा खाद्य सचिवों के दो दिवसीय सम्मेलन में
श्री प्रीतम सिंह, माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री,
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिये जाने वाले भाषण की प्रति।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013–राष्ट्रीय सम्मेलन
मा0 खाद्य मंत्री उत्तराखण्ड का भाषण

सर्वप्रथम, मै मा0 श्रीमती सोनिया गाधी जी, अध्यक्ष यू0पी0ए0 तथा मा0 प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिह जी तथा मा0 खाद्य मंत्री भारत सरकार प्रो0 के0 वी0 थॉमस जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गयी है।

सम्मानित प्रो0 के0 वी0 थॉमस जी विभिन्न प्रदेशों से सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु पधारे मा0 मंत्रीगण, सचिव, खाद्य भारत सरकार, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं पुनः प्रो0 थॉमस जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया है। इस बैठक से हमे इस योजना को लागू करने मे आ रही व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान करने हेतु विभिन्न प्रदेशों के अनुभवों को जानने का अवसर प्राप्त होगा तथा एक ठोस एव कारगर नीति बनाने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

आप अवगत है कि उत्तराखण्ड देश का एक नवोदित पर्वतीय राज्य है, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें चीन और नेपाल से लगती है, अतः देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस राज्य का विशेष महत्व है। प्रदेश की अधिकाश आबादी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है एवं अपने जीवन निर्वाह के लिये पूर्ण रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न पर निर्भर है। विशेष रूप से हमारे पर्वतीय और दुर्गम इलाको में खाद्य सुरक्षा योजना का अत्यधिक महत्व है क्योकि यहा की कृषि योग्य भूमि नगण्य है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा दैवीय आपदाओं से ग्रसित होने के बाद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को दिनांक 20 अगस्त 2013 से

लागू कर दिया गया है। अधिनियम को उत्तराखण्ड प्रदेश मे लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए है:-

A. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रदेश मे 20 अगस्त 2013 को सांकेतिक शुभारम्भ कर दिया गया है। अन्त्योदय एव बी0पी0एल0 श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य व्यवस्था के अनुसार चिन्हित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों के परिवार के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक हो तो उन्हें पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से खाद्यान्न वितरित किया जायेगा।

B. प्रदेश के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी आबादी मे से 14,13,827 हकदार बी0पी0एल0 आबादी को प्रति राशनकार्ड प्रति माह-7 व्यक्तियों के परिवार तक 35 किलोग्राम तथा 7 से कम के परिवार को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 10 किलो प्रति बी0पी0एल0 परिवार का भुगतान अपने संसाधनो से किया जायेगा।

C. इसी परिदृश्य में राज्य के हकदार परिवारों का चिन्हीकरण करने के लिए 14 मानकों का निर्धारण करते हुये राशनकार्ड सर्वप्रथम परिवार की वरिष्ठतम महिला के नाम बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। पात्र परिवार के **चिन्हीकरण के मानक एवं उसकी प्रक्रिया** निम्नवत है:-

i. राशन कार्ड सर्वप्रथम परिवार की 18 वर्ष से ऊपर की आयु की वरिष्ठतम महिला के नाम बनाया जायेगा।

ii. वर्तमान समस्त अन्त्योदय राशन कार्ड धारक।

iii. वर्तमान समस्त बी0पी0एल0 राशन कार्ड धारक।

iv. आदिम आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रो मे निवासरत आदिवासी परिवार।

v. ऐसा परिवार जिसका सचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला या अकेली महिला करती हो उस परिवार को आय में छूट का प्राविधान किया गया है।

vi. ऐसा परिवार जिसके सचालक के तौर पर मुखिया असाध्य रोगों (कुष्ठ, एच0आई0वी0) से पीडित हो उस परिवार को आय मे छूट का प्राविधान किया गया है।

vii. ऐसा परिवार जिसका सचालन मुखिया के तौर पर विकलागता से पीडित व्यक्ति करता हो उस परिवार को आय मे छूट का प्राविधान किया गया है।

viii. ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम हो अथवा 1 हैक्टेयर सिचित तथा 2 हैक्टेयर असिचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर असिचित भूमि से कम हो।

ix. ऐसे व्यक्ति जो रिक्शाचालन, कुली, मजदूर, कूडा बिनने वाले, मोची, लोहार, बढई, ग्रामीण दस्तकार, घरो में काम करने वाले सेवक/सेविका, सफाई कर्मी एव कार्य करते हो।

x. ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन उसकी भूमि पर खेत जोतता हो।

xi. शहरी क्षेत्रो मे स्थापित मलिन एव झुग्गी झोपडी मे निवासित ऐसी आबादी जो जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य में उस स्थान पर निवास करता हो।

xii. ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर आयकर की देयता न बनती हो।

xiii. ऐसे सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी जिनकी मासिक आय रू0 15000 से अधिक न हो।

xiv. राज्य में ऐसे संचालित संगठन अथवा आश्रम मे निवासित ऐसे व्यक्ति जो बेघर हों तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर उक्त संगठन या आश्रम मे रहकर जीवन यापन करते हो यथा विधवा आश्रम, बाल/महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोग से पीडितो का आश्रम, विकलांगो का आश्रम एव वृद्धाश्रम इत्यादि।

भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये निर्धारित पात्र प्राथमिक परिवारो के लक्ष्य को पूरा करने के लिये उपरोक्त पात्रता के अनुसार चिन्हित करने के पश्चात अवशेष पात्र परिवारो का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर बनायी बी0पी0एल0 सूची मे से न्यूनतम प्राप्त कमांक से आरोही क्रम मे लिया जाना तथा शहरी क्षेत्र के लिये ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय रू0 15000.00 से अधिक न हो को निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत लिया जायेगा।

D. प्रदेश मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लगभग 22.55 लाख पात्र आबादी को चिन्हित कर लिया गया है। अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों की आबादी 8,21,796 तथा बी0पीएल0 श्रेणी के 14,32,314 आबादी को उनकी खाद्यान्न की हकदारी के परिदान कराये जाने के लिए 01-09-2013 से 31-03-2014 तक कुल 7 माह के लिए गेंहू तथा चावल के आवंटन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

E. राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित 61.94 लाख आबादी को चिन्हित करने के लिए तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हीकरण हेतु मानकों के परिप्रेक्ष्य में नये राशनकार्ड को निर्मित किए जाने के **मार्गनिर्देश** निम्नवत हैं:-

i. *अधिनियम के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारो को पूर्व की भॉति 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (10.50 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 24.50 कि0ग्रा0 चावल क्रमशः रू0 2.00 एव रू0 3.00 प्रति कि0ग्रा0) की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड देय होगा। यह समस्त परिवार वही होगे जिन्हे पूर्व से ही अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इन्हे पूर्व मे निर्गत राशनकार्ड आगेम आदेशो तक यथावत रहेगे।*

ii. इसके पश्चात शहरी एव ग्रामीण क्षेत्रो मे पात्र प्राथमिक परिवारों (Priority Households) का चयन किया जाना है। योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचे इसलिये पात्र परिवारों का चयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पात्र परिवारों के चयन हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी:–

a. वर्तमान समस्त ग्रामीण एवं शहरी बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारको को अग्रिम आदेशों तक अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों के पश्चात प्राथमिक परिवारों के रूप मे सम्मिलित किया जायेगा। इन्हें पूर्व मे निर्गत राशनकार्ड अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू रहेंगे। यद्यपि अध्यादेश द्वारा अन्त्योदय के अतिरिक्त प्राथमिक परिवारों हेतु प्रति यूनिट 5 कि0ग्रा0 खाद्यान्न दिये जाने का प्राविधान है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा अग्रिम आदेशों तक बी0पी0एल0 राशन कार्डधारकों को भी वर्तमान की भॉति 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, चावल रू0 3.00 प्रति कि0ग्रा0 एवं गेहूँ रू0 2.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिये प्रत्येक राशन की दुकान के स्तर पर बी0पी0एल0 कार्डधारको की यूनिटस का सत्यापन करवाते हुये वास्तविक बी0पी0एल0 यूनिट्स की जनपदवार संकलित सूचना खाद्यायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।

b. पात्र परिवारों के चयन की प्रकिया को प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून हो। नोडल अधिकारी निरन्तर लाभार्थियों के चयन में हुई प्रगति की कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुये जिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

c. ग्रामीण क्षेत्रो मे पात्र परिवारो के चयन हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी तथा लेखपाल/पटवारी की टीम बनायी जायेगी। ग्रामवार गठित उक्त टीम द्वारा निर्धारित मानकों के [illegible] चिन्हिकरण तथा निर्धारित मानक के

अनुसार सत्यापन के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सर्वे के आधार पर बनायी गयी अध्यावधिक ग्रामवार बी0पी0एल0 सूची मे से न्यूनतम प्राप्त क्रमांक से आरोही क्रम में पद ascending order (ग्राम के निर्धारित लक्ष्य तक) लिया जायेगा। इस प्रकार बनायी गयी Tentative सूची को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा सहमति के उपरान्त अन्तिम सूची बनायी जायेगी। ग्राम सभा की यह प्रकिया श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 से अन्यून स्तर के अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करते हुये करायी जायेगी। ग्राम सभा की बैठकों मे पात्र परिवारों में से एक वयस्क सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा पात्रता में परिवार सम्मिलित नहीं होगा। अन्तिम रूप से बनायी गयी ग्रामवार सूची का अंकन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मास्टर रजिस्टर, काउन्टर रजिस्टर एवं दुकान रजिस्टर में सुस्पष्ट एवं सुपाठ्य अक्षरों मे किया जायेगा।

d. ग्राम सभा में यह प्रकिया श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 से अन्यून स्तर के अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करते हुए करायी जायेगी। ग्राम सभा में बैठकों हेतु पूर्व मे ही रोस्टर निर्धारित किया जायेगा, जिसका सम्यक रूप से प्रचार प्रसार किया जायेगा। खण्ड स्तर पर उक्त कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी एव प्रेक्षक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

e. शहरी क्षेत्र में प्राथमिक/पात्र परिवारों के चयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर शहरी क्षेत्रवार खाद्य, राजस्व, स्थानीय निकाय तथा यथा आवश्यकता अन्य विभागो के कार्मिको को सम्मिलित करते हुये टीमों का गठन किया जायेगा। अवशेष पात्र प्राथमिक परिवारों के चयन हेतु मानक का विवरण जो शासनादेश संख्या 361 दिनांक 15.07.2013 में उल्लिखित है के अनुसार सत्यापन किया जायेगा। इस सम्बन्ध मे स्थानीय निकाय स्तर पर मलिन बस्ती हेतु बनायी गयी बी0पी0एल0 सूची (डी0डी0 [illegible] द्वारा [illegible] तथा अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित

उपलब्ध है तो उसका भी संज्ञान लिया जाय। इसी प्रकार स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जारी बी0पी0एल0 सूची तथा Socio Economic Caste Census की सूची का भी सज्ञान लिया जायेगा। इस प्रकार बनायी गयी पात्र परिवारों की सूची को सम्बन्धित नगर निकाय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर, दो सप्ताह के भीतर, आपत्ति प्राप्त करते हुये निस्तारण किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के लिये सम्बन्धित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होगे। अन्तिम रूप से बनायी गयी क्षेत्रवार/दुकानवार सूची का अंकन जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में मास्टर रजिस्टर, काउन्टर रजिस्टर एव दुकान रजिस्टर में सुस्पष्ट एव सुपाठ्य अक्षरो मे किया जायेगा।

f. तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे पात्र परिवारो के चयन की कार्यवाही का निरन्तर अनुश्रवण करेंगे। उक्त कार्य के निर्धारित अवधि में समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

g. वर्तमान मे प्रचलित अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 राशनकार्डो मे इस बात की सम्भावना है कि उनमें कतिपय कार्डधारक स्थान परिवर्तन, मृत्यु अथवा उच्च श्रेणी (ए0पी0एल0) में आ जाने के कारण पात्रता नही रखते। इसलिये सत्यापन के दौरान अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारको का भी यथाआवश्यकता सत्यापन करवा दिया जाय। जिससे की योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।

h. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को यथाशीघ्र लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलतः पात्र परिवारो के चयन का कार्य युद्ध स्तर पर करते हुये एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाय।